कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/ 2165/एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी, दिनांक 21/03/2020

(COVID-19) बीमारी को WHO द्वारा वैश्विक महामारी के रूप में चिन्हित किया गया है तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अंतर्गत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया है। प्रायः ऐसा देखने में आया है कि संक्रमित देशों की यात्रा करके लौटने वाले या संक्रमित राज्यों की यात्रा करके लौटने वाले या संक्रमित व्यक्ति के द्वारा अपने निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र या जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में सूचना नहीं दी जाती है तथा जिन व्यक्तियों को चिकित्सकों द्वारा होम क्वारेंटाइन/आइसोलेशन की सलाह दी जाती है वे भी इस सलाह की उपेक्षा कर भीड़ वाले इलाके में जाते है। ऐसी स्थिति में संक्रमण को रोका जाना संभव नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में सर्वसाधारण को आदेशित किया जाता है कि –

1. जिला सिवनी के राजस्व सीमा के भीतर निवासरत व्यक्ति के घर कोई अन्य व्यक्ति चाहे वह उनका पति–पत्नि, पुत्र–पुत्री, भाई–बहन या अन्य कोई भी व्यक्ति हो भी विदेश, संक्रमित राज्य/जिले से आया है, इसकी सूचना CORONAVIRUS Control Room Phone No. 07692-220323, 227423 पर अनिवार्य रूप से देगें।
2. जिले की समस्त होटल/लॉज के द्वारा विदेशी पर्यटकों हेतु Arival Report of Foreigner in Hotel (Form-C) भरा जाकर पुलिस अधीक्षक को ऑनलाईन प्रतिलिपि अग्रेषित किया जावेगा साथ ही जिले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्थापित CORONAVIRUS Control Room e_mail : cmhoseo@nic.in, Phone No. 07692-220323, 227423 पर अनिवार्य रूप से सूचित करेगें
3. प्रभावित देशों, राज्यों, जिलों से आने वाले व्यक्ति जिसे COVID-19 रोग से सम्बंधित लक्षण परिलक्षित हो रहे है, वे अपना स्वास्थ्य परीक्षण जिला चिकित्सालय,सिवनी के संक्रमण रोग ओ.पी. डी. में अनिवार्यतः कराए।

कोरोना वायरस (COVID-19) से पीड़ित/संक्रामित व्यक्ति, संक्रमित जिलों, राज्यों व विदेश से आये किसी व्यक्ति की जानकारी न देना, तथ्यों को छुपाना व CORONAVIRUS से पीड़ित एवं संदिग्ध व्यक्ति जिसे कि होम आइशोलेशन/आइशोलेशन वार्ड में रखा गया है ऐसा कोई व्यक्ति बिना सूचना/डॉक्टर या सक्षम प्राधिकारी की बिना अनुमति के चले जाता है, वह पीड़ित व्यक्ति दूसरों की जान या निजी सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। उक्त कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270, 336 के तहत दंडनीय अपराध है। तथा उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं सम्बंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जन संपर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आदेश का समाचार के रूप में समाचार पत्रों में तथा रेडियो एवं दूरदर्शन पर जनसामान्य, सम्बंधितों को उक्त आदेश से अवगत कराया जावे। सम्बंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी भी इस आदेश से सामान्य जन एवं सम्बंधितों को अवगत करावें।

यह आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। आदेश दिनांक 21 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
सिवनी

पृ. क्रमांक / 2165-A / एस.डब्ल्यू. / 2020 सिवनी, दिनांक 21/03/2020

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, म.प्र.शासन (गृह विभाग) सी–अनुभाग भोपाल।
2. सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
4. मुख्य वनसंरक्षक, सिवनी वृत्त, सिवनी।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला सिवनी की ओर भेजकर लिखा जाता है कि, संलग्न आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त थाना प्रभारियों को उपलब्ध कराते हुए आदेश / निर्देशों का सख्ती से पालन करवाना सुनिष्चित करें।
6. सहायक संचालक, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सिवनी / बरघाट / केवलारी / लखनादौन / घंसौर / कुरई
9. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला सिवनी
10. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सिवनी / बरघाट / लखनादौन
11. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सिवनी
12. नोडल अधिकारी, कोनोरा वायरस सेल, जिला चिकित्सालय, सिवनी
13. सर्व थाना / चौकी प्रभारी, जिला सिवनी को पुलिस अधीक्षक सिवनी के माध्यम से पालनार्थ, आपके थाना क्षेत्रांतर्गत आदेश / निर्देश का अक्षरशः पालन हेतु।
14. सहायक संचालक, जनसंपर्क, सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
सिवनी